राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2025/26

राजस्व वाद संख्या– 10/2025

दायर दिनांक–27.02.2025

निर्णय दिनांक– 15.04.2026

1. बाबूलाल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर नि0 नाका की ढाणी परबतसर

—वादी

बनाम

1. ओम कंवर पत्नि ओमपाल सिंह जाति राजपूत
2. कृष्ण गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति साधु
3. कानदास पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
4. घनश्याम पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
5. घासीदास पुत्र गणेशदास उर्फ गोरधनदास जाति साधु
6. दरियाव कंवर पत्नि शंकर सिंह जाति राजपूत
7. प्रभु लाल पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
8. मुकेश पुत्र भंवरलाल जाति साधु
9. मदनलाल पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
10. मधु कंवर पत्नि महेंद्र पाल सिंह जाति राजपूत
11. राधेश्याम पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
12. श्रवणदास पुत्र श्रीकिशनदास जाति साधु
13. सीताराम पुत्र गणेश दास जाति साधु मृतक जरिये वारिसान
    - 13.1 भंवरी देवी पत्नि सीताराम
    - 13.2 शंकर लाल पुत्र सीताराम
    - 13.3 श्याम सुंदर पुत्र सीताराम
    - 13.4 लाली देवी पुत्री सीताराम
    - 13.5 शोभा देवी पुत्री सीताराम
    - 13.6 कौशल्या देवी पुत्री सीताराम
    - 13.7 सुरजा पुत्री सीताराम

    सर्वनिवासी ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री शैतान सिह नड़वा अधि0 वादी
2 श्री जितेन्द्र प्रजापति अधि0 प्रतिवादी सं. 13.1 से 13.7 तक
3. श्री विमल किशोर अधि0 प्रति0 संख्या 2 से 5, 7 से 9,11,12

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188 पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम तित्यारी, पटवार हल्का पींगलोद, भू–अ0नि0 करकेड़ी के खाता संख्या 190 के खसरा संख्या 209/52, 52 की भमि अवस्थित है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार अर्न्तनिहित है तथा सभी खातेदार के रूप में काश्त करते चले आ रहें है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबबंदी अनुसार वर्णित हिस्सा अनुसार मौके पर आपस में बाई मीट्स एंड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 से 13 उक्त स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर वाद वर्णित वादी के हक हिस्से की आराजी को बंटवारा किये बिना अन्य को प्लॉट बनाकर विक्रय करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी अपने हक हिस्से की अराजी से मेहरूम हो जाएगा। जिससे वाद में कई मल्टीपलीसिटी का प्रोसिडिंग उत्पन्न हो जाएगी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को उक्त वाद वर्णित आराजी का बंटवारा कर अलग–अलग हिस्से करने बाबत् निवेदन किया परंन्तु प्रतिवादीगण कोई ना कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते आ रहे है। इसलिये बाई मीट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा कर अपने हिस्से की आराजी को अलग कराना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य उक्त आराजी को लेकर किसी प्रकार का विवाद ना रहे एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 अपने–अपने हक हिस्से की आराजी का स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार चाहे उपयोग उपभोग कर सके। वादी की ओर से प्रार्थना है कि वाईं मीट्स एंड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर रेवेन्यू रिकार्ड में व नक्शों में बंटवारनामे का अमल दरामद करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 12, 14 के सम्मन तामिलशुदा व प्रति0 संख्या 13(i) से 13(vii) के सम्मन अदम तामिल प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 7 से 9, 11, 12 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 13(i) से 13(vii) की ओर से वकील श्री जितेन्द्र प्रजापति उपस्थित। प्रकरण में भूमिधारी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष वकुलाम की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की एवं अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में भूमि निम्नानुसार होगी –

	ग्राम तित्यारी– खसरा संख्या – 52, 209/52			
क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (हे0)	किस्म
1	बाबूलाल पुत्र श्योनारायण हि0 सम्पूर्ण जाति गुर्जर मकान संख्या 00 कॉलोनी नाका की ढाणी, क्षेत्र/स्थान परबतसर जिला नागौर हाल डीडवाना–कुचामन राज0 खातेदार	52/1 209/52/2	0. 1132 0. 2832	बारानी ए बारानी ए
2	कानदास पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, घनश्याम पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, प्रभूलाल पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, मदनलाल पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, राधेश्याम पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7 श्रवणदास पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, कृष्णगोपाल पुत्र भंवरलाल हि0 1/14, मुकेश पुत्र भंवरलाल हि0 1/14 सर्वजाति साधू सा0 देह खातेदार	52/2	0. 3964	बारानी ए
3	भंवरी देवी पत्नि सीताराम, शंकरलाल, श्यामसुन्दर पि0 सीताराम लाली देवी, शोभा देवी, कौशल्या देवी, सुरजा पुत्रियां सीताराम हि0 ब0 सर्वजाति साधू सा0 देह खातेदार	209/52/1	0. 0684	बारानी ए
4	घासीदास पुत्र गणेशदास उर्फ गोरधनदास हि0 पूर्ण जाति साधू सा0 देह खातेदार	209/52/3	0. 3963	बारानी ए
5	दरयावकंवर पत्नि शंकरसिंह राठौड़ हि0 1/3 राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा हि0 पूर्ण ओमकंवर पत्नि ओमपाल सिह राठोड़ हि0 1/3 मन्नूकंवर पत्नि महेन्द्रपालसिंह राठोड़ हि0 1/3 सर्वजाति राजूपत सा0देह खातेदार	209/52/4	0. 3280	बारानी ए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। प्रतियादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधाकारित उत्पन्न नहीं करे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

अंतिम डिक्री
आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दियानी
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)
व इजलास– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 10/2025

बाबूलाल

बनाम

ओमकंवर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0 1955

यह वाद जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह के समक्ष वकील श्री शैतान सिंह नड़वा, विमल किशोर तिवाडी व जितेन्द्र प्रजापति की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से के वाद भूमि का निर्णयानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

	ग्राम तित्यारी– खसरा संख्या – 52, 209/52			
क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	बाबूलाल पुत्र श्योनारायण हि0 सम्पूर्ण जाति गुर्जर मकान संख्या 00 कॉलोनी नाका की ढाणी,. क्षेत्र/स्थान परबतसर जिला नागौर हाल डीडवाना–कुचामन राज0 खातेदार	52/1 209/52/2	0. 1132 0. 2832	बारानी ए बारानी ए
2	कानदास पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, घनश्याम पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, प्रभूलाल पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, मदनलाल पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, राधेश्याम पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7 श्रवणदास पुत्र श्रीकिशनदास हि0 1/7, कृष्णगोपाल पुत्र भंवरलाल हि0 1/14, मुकेश पुत्र भंवरलाल हि0 1/14 सर्वजाति साधू सा0 देह खातेदार	52/2	0. 3964	बारानी ए
3	भंवरी देवी पत्नि सीताराम, शंकरलाल, श्यामसुन्दर पि0 सीताराम लाली देवी, शोभा देवी, कौशल्या देवी, सुरजा पुत्रियां सीताराम हि0 ब0 सर्वजाति साधू सा0 देह खातेदार	209/52/1	0. 0684	बारानी ए
4	घासीदास पुत्र गणेशदास उर्फ गोरधनदास हि0 पूर्ण जाति साधू सा0 देह खातेदार	209/52/3	0. 3963	बारानी ए
5	दरयावकंवर पत्नि शंकरसिंह राठौड़ हि0 1/3 राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा हि0 पूर्ण ओमकंवर पत्नि ओमपाल सिह राठोड़ हि0 1/3 मन्नूकंवर पत्नि महेन्द्रपालसिंह राठोड़ हि0 1/3 सर्वजाति राजूपत सा0देह खातेदार	209/52/4	0. 3280	बारानी ए

यह डिक्री पर्चा आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)